भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 344
(30 नवंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा कामगारों को मजदूरी का भुगतान

344. सुश्री एस. जोतिमणि:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में देरी हुई है और यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विभिन्न राज्यों में मनरेगा श्रमिकों को भुगतान में देरी के क्या कारण है;
(ग) अप्रैल और अक्तूबर के मध्य किए गए कार्यों के लिए देश भर में केंद्र सरकार से स्वीकृति हेतु लंबित वेतन भुगतान का ब्यौरा क्या है;
(घ) अप्रैल और अक्तूबर के बीच किए गए कार्यों के लिए तमिलनाडु राज्य में लंबित वेतन भुगतान का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मनरेगा कामगारों को वेतन भुगतान की मंजूरी में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछले भुगतान का वितरण किया जाए, क्या कदम उठाए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क), (ख), (घ) से (च): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि रिलीज करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार कार्य की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जमीनी स्तर पर जब कभी कार्य की मांग को पूरी करने के लिए निधियों की आवश्यकता होती है, मंत्रालय वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

पहली खेप की पहली किस्त राज्यों के पास उपलब्ध व्यय नहीं की गई शेष राशि को समायोजित करके और लंबित देनदारियों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में जारी की जाती है। यदि दूसरी खेप का प्रस्ताव 01 अक्टूबर, या उसके बाद प्रस्तुत किया जाता है तो विगत वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र अपेक्षित होता है। निधियां राज्य द्वारा प्रस्तुत विगत वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही जारी की जाती हैं। आज की तारीख तक 98.99 प्रतिशत एफटीओ निर्धारित समय सीमा में सृजित किए गए हैं। अप्रैल से अक्टूबर माह के लिए तमिलनाडु राज्य में आज की तारीख तक कोई मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अक्टूबर, 2021 तक लंबित निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

****

लोक सभा में दिनांक 30.11.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 344 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अक्टूबर, 2021 तक लंबित निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लंबित एफटीओ (रु. लाख में)			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	13467.03		15692.98	29160.00
2	बिहार			29722.25	29722.25
3	हिमाचल प्रदेश	3760.30		11328.31	15088.60
4	झारखंड			21122.10	21122.10
5	कर्नाटक		3241.23		3241.23
6	मिजोरम			54.37	54.37
7	नागालैंड			2277.99	2277.99
8	पंजाब	11298.36	15.52		11313.88
9	पश्चिम बंगाल		10869.13	103475.59	114344.72
10	लद्दाख			54.23	54.23
	कुल	**28525.69**	**14125.88**	**183727.80**	**226379.37**

****